भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2917
मार्च 10, 2026 को उत्तरार्थ

विषय:कृषि खरीद में निजी एजेंसियों की भूमिका

2917. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-आशा पहल के अंतर्गत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए निजी एजेंसियों को किस रीति से नियोजित किया जाता है;

(ख) इन एजेंसियों का चयन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी एजेंसियों द्वारा संचालित खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का किस रीति से निजी खरीद और सार्वजनिक सहायता योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत दलहनों और तिलहनों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद प्राथमिक स्तर की एजेंसियों के सहयोग से राज्य स्तरीय एजेंसियों (एसएलए) के माध्यम से, केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा सीधे पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाती है। केंद्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीएनए के रूप में कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियां, सामान्यतः राज्य स्तरीय सहकारी विपणन संघ जो एसएलए के रूप में कार्य करते हैं, प्राथमिक स्तर की एजेंसियों जैसे प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से खरीद प्रक्रिया में संलग्न होती हैं।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें मजबूरी में उपज की बिक्री से रोकने के लिए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन जैसी अन्य लॉजिस्टिक/इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त किसानों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार, केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य एजेंसियों उचित औसत गुणवत्ता मानकों, खरीद तिथियों और खरीद केंद्रों से संबंधित सूचना का व्यापक प्रचार किया गया है ताकि किसान अपनी उपज खरीद केंद्रों में लाकर बेच सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

*****